फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट, आमेट जिला राजसमंद

प्रकरण : संख्याः– 121/2010 शीर्षकः– मियाला उर्फ माला बनाम मोहनलाल

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर/सूचना नं.
14.01.2025	वाद अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत् मिसल तलबी हेतु प्रस्तुत किया कि वादी एवं प्रतिवादी के मध्य समझौता हो जाने से सिगह से पत्रावली आज ही तलब फरमायी जावे एवं पत्रावली में आज कार्यवाही किए जाने का आदेश प्रदान फरमावे। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने से पत्रावली में नियत तिथि 19.02.2025 अंकित है, किन्तु तलबी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने से पत्रावली तलब की गई। वादी द्वारा वाद को विड्रो करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा हो जाने से अब पत्रावली में अग्रिम कार्यवाही नहीं चाहते है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। वादी की पहचान उनके अधिवक्ता जीवनसिंह रावत द्वारा एवं प्रतिवादीगण की पहचान उनके अधिवक्ता मुकेश देवपुरा द्वारा की गई। पत्रावली में कार्यवाही शेष नहीं होने से पत्रावली खारिज(विड्रो) की जाती है। पत्रावली तदनुसार निर्णित हो। (गोविन्द सिंह) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आमेट जिला राजसमन्द	मियाला